

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ,
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक : एफ11(3)1/मो./आईसीडीएस/2018-19/67045-77

जयपुर, दिनांक
25-4-18

उप निदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय:- पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पद सृजन के संबंध में।

प्रसंग:- एफ11(3)1/मो./आईसीडीएस/18-19/52184-214 दिनांक 05.04.
2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में विभाग द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पद सृजन हेतु स्थान (आंगनबाड़ी केन्द्र) के प्रस्ताव चाहे गये थे। लेकिन आप द्वारा प्रेषित प्रस्तावों का अवलोकन किया गया जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्रों का चयन आधार स्पष्ट /अपर्याप्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न बिन्दुओं के आधार पर ^{पुनः}आंगनबाड़ी केन्द्र का चयन कर प्रस्ताव भिजवाना सुनिश्चित करें:-

- 1 चयनित आंगनबाड़ी केन्द्र सरकारी स्कूलों/विभागीय भवन में संचालित हैं।
- 2 आंगनबाड़ी केन्द्र किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित नहीं है व दूरस्थ स्थानों पर है।
- 3 केन्द्र पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु बच्चों की संख्या अधिक है।
- 4 पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यकर्ता कम सक्षम है तथा उसे पूर्व प्राथमिक शिक्षाक की अतिरिक्त मदद की आवश्यकता है।

उक्त प्रस्ताव दिनांक 02.05.2018 तक विभागीय ई-मेल

jdm.wcd@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से विभाग भजवाना सुनिश्चित करें।

सूचना पूर्व उपजातुलाट ही भिजवावे


आयुक्त

समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर